राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प 7 (51) परि/नियम/06/III / 32796 जयपुर दिनांक : 04/05/09

कार्यालय आदेश 13/2009

विषयः—चालक लाईसेंस पंच किये जाने के संबंध में।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 के तहत वाहन चालक को चालक लाईसेंस धारण करने के अयोग्य घोषित किये जाने अथवा उसके लाईसेंस को revoke (प्रत्याहरण) किये जाने का प्रावधान है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि चालक द्वारा यातायात के नियमों की गम्भीर उल्लंघन करने पर भी उसको वाहन चालन के अयोग्य नहीं किया जाता है जिससे वाहन चालकों में यातायात के नियमों की पालना के प्रति उदासीनता की प्रवृति में बढोतरी हुई है।

विभाग द्वारा प्रपत्र—7 में कम्प्यूटराईज्ड लेमिनेटेड ड्राईविंग लाईसेंस जारी किया जाता है। उक्त लाईसेंस के पीछे पांच गोले बने हुये है जिनमें प्रथम दो गोले हरे रंग में तथा मध्य के दो गोले नारंगी रंग में तथा अंतिम गोला लाल रंग में बना हुआ है। लाईसेंस में गोले बनाये जाने के उद्देश्य यह था कि चालक द्वारा की गई यातायात संबंधी नियमों की प्रत्येक अवेहलना पर उन गोलों को पंच किया जावे तथा अंतिम गोले की पंचिंग पर चालक को सुनवाई का अवसर देते हुए धारा 19 के तहत चालक को चालन के अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही की जावे, लेकिन उक्त प्रावधान की पालना नहीं की जा रही है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि यातायात संबंधी निम्न अपराधों के प्रकरण में लाईसेंस पंचिंग करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से की जावे :—

1. नशे में वाहन चलाना।
2. वाहन चालन के समय मोबाईल फोन का उपयोग करना।
3. तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाना।
4. बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाना।
5. ट्रेफिक बत्तीयों के निर्देशों की अवेहलना करना।

बनाये गये चालान की एक प्रति संबंधित निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा तुरन्त संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को दी जावेगी। इन चालानों के आधार पर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा चालक के लाईसेंस संबंधित रिकॉर्ड में अपराधों का अंकन लाल स्याही से किया जावेगा तथा चार बार से अधिक लाईसेंस पंच होने की स्थिति में वाहन चालक को नियमानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए धारा 19 के तहत लाईसेंस को revoke (प्रत्याहरण) करने की कार्यवाही की जावेगी। जिला परिवहन अधिकारी डुप्लीकेट लाईसेंस जारी करते समय चालक के लाईसेंस रिकॉर्ड में अपराध अंकन के आधार पर ही डुप्लीकेट लाईसेंस पंच करने के उपरान्त ही चालक को डुप्लीकेट लाईसेंस जारी करेंगे। पुलिस विभाग भी लाईसेंस पंचिंग की सूचना अगले माह की सात तारीख तक संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जिससे कि चालक के लाईसेंस रिकॉर्ड में अपराध का अंकण किया जा सके।

नशे में ट्रक, बस, कार, जीप आदि प्रकार के वाहन चलाने वाले चालकों तथा दुर्घटनाओं में दोषी पाये गये चालकों के लाईसेंस नियमानुसार चालक को सुनवाई का अवसर देते हुए न्यूनतम तीन माह के लिए revoke किया जावे।

प्रत्येक जिला परिवहन अधिकारी माह के दौरान पंच किये गये लाईसेंस की सूचना संलग्न प्रपत्र में आगामी माह की 20 तारीख तक सहायक निदेशक, सांख्यिकी को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे।

(निरन्जन आर्य)
परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव

कमाक : प 7 (51) परि/नियम/06/III / 32797 जयपुर, दिनांक 4/5/09

प्रतिलिपि :—

1. अतिरिक्त पुलिस महा निदेशक, (यातायात) पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.................................
3. समस्त जिला परिवहन अधिकारी...............................
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण.......................................
5. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (नियम)

प्रपत्र

ड्राईविंग लाईसेंस पंच किये जाने की मासिक सूचना

जिला ——————

माह ——————

1. माह के दौरान कुल पंच किये गये लाईसेंस ————
2. निम्न यातायात संबंधी प्रावधानों के प्रकरणों में लाईसेंस पंचिंग करने की संख्या
   - (i) नशे में वाहन चलाना ————
   - (ii) वाहन चालन के समय मोबाईल फोन का उपयोग करना ——
   - (iii) तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाना ————
   - (iv) बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाना ————
   - (v) ट्रेफिक बत्तीयों के निर्देशों की अवेहलना करना ————

जिला परिवहन अधिकारी